WASTE DISPOSAL PLAN FOR TANAY ENCLAVE

The said project is a plotted development and the colony, once completed, will be handed over to Nagar Nigam, Kanpur as per the instructions by the Kanpur Development Authority. Thereafter the local municipal body will do the work of waste collection and its disposal from the houses built by purchasers on the sold plots.

जल कल विभाग, नगर निगम कानपुर

बेनाझाबर रोड, कानपुर–208002

Website-jalkalkanpur.in, Email-gmjkkanpur@gmail.com,

फोन– 0512 2548213
फैक्स– 0512 2554072
कन्ट्रोल रूम नं0– 0512 2549018

पत्रांकः– जल/ 164 /अ0अ0–1(63)/2019–20 दिनांकः– 17.5.19

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

मैसर्स ए0आर0ए0 इण्डिया एल0एल0पी0 परिसर संख्या– 16/14 सिविल लाइन्स, कानपुर पर प्रस्तुत भवन के मानचित्र के विरूद्ध विकास शुल्क जल, सीवर देयक के कम में श्री अरूण कुमार गोयल द्वारा (चेक संख्या–318466 दिनांक–08.05.19) रसीद संख्या–4286/1 दिनांक–13.05.2019 द्वारा धनराशि रूपये–6,35,825.00 जमा किये जाने के फलस्वरूप निम्न शर्तों के साथ मानचित्र स्वीकृति हेतु अनापत्ति निर्गत की जाती है।

1. उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण में यदि जलकल विभाग के जल का प्रयोग पाया गया तो उक्त धनराशि के अतिरिक्त निर्माण जल मूल्य देय होगा तथा तद्नुसार न्यूनतम सीवर प्रभार भी देय होगा।
2. जल एवं सीवर संयोजन लिये जाते समय उक्त धनराशि के अतिरिक्त नियमानुसार धनराशि जमा करनी होगी एवं अन्य औपचारिकतायें पूर्ण की जानी होगी।
3. कर निर्धारण के अनुरूप करों का भुगतान देय होगा।
4. उक्त भूखण्डों की पेयजल एवं सीवेज की आन्तरिक व्यवस्था सम्बन्धित को स्वयं करानी होगी।
5. आपके परिसर से गुजरने वाली वाटर एवं सीवर लाइनों के दोनों तरफ कम से कम 5–5 मीटर तक किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं किया जायेगा।
6. भविष्य में उक्त भूखण्ड में प्लांट पर स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप निर्मित क्षेत्रफल के अतिरिक्त यदि वृद्धि होती है तो बढ़े हुये भाग के विरूद्ध नियमानुसार अतिरिक्त शुल्क देय होगा। निर्माण कार्य हेतु पानी की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
7. विभागीय जल/सीवर संयोजन स्थल (मेन) तक समस्त पापइ लाइन का कार्य स्वयं करनी होगी एवं संयोजन की कार्यवाही विभागीय पंजीकृत प्लम्बर के माध्यम से पूर्ण करनी होगी।
8. निर्माण कार्य के दरम्यान निर्माणकर्ता/भूखण्ड स्वामी द्वारा विभागीय सम्पत्ति की क्षति होने पर उसकी भरपायी निर्माणकर्ता/भूखण्ड स्वामी को करनी होगी।

अधिशासी अभियन्ता,
जोन–1

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महाप्रबन्धक महोदय, जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर।
2. वित्त अधिकारी, जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर।
3. नगर नियोजक, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।
4. श्री अरूण कुमार गोयल, ए0आर0ए0 इण्डिया एल0एल0पी0, परिसर संख्या– 16/14 सिविल लाइन्स, कानपुर।
5. अवर अभियन्ता, जोन–1, जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर।

अधिशासी अभियन्ता,
जोन–1